अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
30/12/19	पत्रावली पेश। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट की दिनांक 11.12.2019 को एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि हाल अपीलार्थी व तरतीबीगुण् के द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद के साथ हाल अपीलार्थी व तरबीबी रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ववादित आराजी वाकै ग्राम थोक मालियान तृतीय में अवस्थित है उक्त आराजीयात बंटवारे के पश्चात की अपीलार्थी की पत्नी व तरबीबी रेस्पोडेन्टस की माता स्वर्गीय साबित्री देवी जा कि रामदयाल की पुत्री है का भी हिस्सा उक्त विवादित आराजीयात में निहित है इस प्रकार हाल अपीलार्थी व तरतीबी व रेस्पोडेन्टस जो कि सावित्री देवी की जाईन्दा वारिसान है का भी अधिकार सावित्री देवी के हिस्से पर बना है परन्तु रामदयाल की मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 424 दिनांक 25.11.2008 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में सावित्री देवी को छोड़कर रामदयाल के सभी वारिसानों का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया । साबित्री देवी की मृत्यु दिनांक 04.11.2005 को रामदयाल की मुत्यु पूर्व में हो चुकी थी उक्त गलत नामान्तकरण के आधार पर साबित्री देवी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया इसलिए दौराने वाद प्रतिवादीगण/हाल रेस्पोडेन्टस को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबंद किये जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी अभिभाषक के प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस को सुना जाकर हाल अपीलार्थी का अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि प्रकरण में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा गलत रूप से रामदरूाल की मृत्यु के पश्चात सावित्री देवी के वारिसानों का नाम उनके हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया तथा रामदयाल के समस्त वारिसानों का नाम नामान्तकरण संख्या 424 दिनांक 25.11.2008 के द्वारा दर्ज किया गया जो एक वैधानिक त्रुटि है जिसमें हाल अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोंडेन्टस की कोई गलती नही है इसलिए उनके पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.06.2016 न्याय, नियम व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.06.2016 को निरस्त किया जावें। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2016 को प्रार्थी/अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2016 को अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस की तलबी होनी शेष थी। चुँकि अपील में अप्रार्थीगण उपस्थित हो चुके है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें। उभयपक्षकारान दिनांक 17.2.20 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रहें।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

344/14/225 रमेश बनाम शासन

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री ... श्री ...	
लगातार	अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण 60 दिवस में करे। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.2.20 को उपस्थित होवें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	